दिनांक 23.06.2021 जिला उद्योग मित्र, विशेष एकीकृत औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशोधित –2011) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथा संशोधित 2016, 2018, 2019 तथा 2020) के अन्तर्गत गठित उपसमिति की बैठक, एकल खिड़की सुगमता अनुज्ञापन अधिनियम–2015 के अन्तर्गत प्राधिकृत समिति तथा जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की ऑनलाईन बैठक का कार्यवृत्त –

ऑनलाईन उपस्थिति–

1. डा0 विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल।
2. श्री आशीष भटगांई, मुख्य विकास अधिकारी, महोदय पौड़ी गढ़वाल।
3. श्री मृत्युंजय सिंह, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार।
4. डा0 नरेन्द्र कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. श्री लखेन्द्र गौंथियाल, मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. श्री अर्जुन राणा, उपायुक्त (राज्य कर) कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
7. श्री अनिल कटारिया, लीड बैंक प्रबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
8. श्री निर्भय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, कोटद्वार।
9. श्री लक्ष्मी चन्द्र रमोला, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, कोटद्वार।
10. श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
11. श्री अनिल जोशी, सी0ओ0, कोटद्वार।
12. श्रीमती सुनीता अरोड़ा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
13. श्री खुशाल सिंह नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
14. श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
15. श्री एस0डी0 माशीवाल, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
16. श्री मुकेश प्रसाद रयाल, सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी।

दिनांक 23.06.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाईन बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है–

बिन्दु संख्या 1– गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की पुष्टि –उद्योग मित्र की गत बैठक दिनांक 23.03.2021 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही पर निम्नवत पुष्टि एवं निर्देश समिति द्वारा दिये गये–

(i) मै0 ब्रह्मदेव ग्राम स्वराज समिति, प्लाट संख्या 20, औद्योगिक आस्थान सिताबपुर, कोटद्वार के सोसायटी पंजीकरण के नवीनीकरण के सम्बन्ध में गत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक निबन्धक, फर्म सोसाईटीज एण्ड चिट्स, कोषागार पौड़ी को समिति के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की कार्यवाही पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार द्वारा समिति को अवगत कराया गया **ब्रह्मदेव स्वराज्य समिति के निरस्तीकरण/नवीनीकरण हेतु** सहायक निबन्धक, फर्म सोसायटी एण्ड चिट्स, कोषागार पौड़ी ने अपने पत्र संख्या 3201, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा निबन्धक, फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स, देहरादून को समिति के वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सोसायटी के निरस्तीकरण/नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक निबन्धक, फर्म सोसायटी एण्ड चिट्स, कोषागार पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया गया कि, यदि समिति का नवीनीकरण हो सकता है तो समिति का नवीनीकरण शीघ्र किया जाय अन्यथा समिति का पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्यवाही कर लिया जाये। समिति द्वारा उक्त कार्यवाही के साथ ही बिन्दु को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– सहायक/उप निबन्धक, फर्म सोसाईटीज एण्ड चिट्स, कोषागार पौड़ी)

(ii) विगत बैठक में उद्यमियों द्वारा उठाये गये समस्याओं पर कृत कार्यवाही–

(a) विगत बैठक में श्री सुनील गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीयल एसोशिएसन, ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी, कोटद्वार तथा श्री रमेश पटवाल, सचिव, इण्डस्ट्रीयल एसोशिएसन, ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी, कोटद्वार द्वारा औद्योगिक आस्थान सिगड्डी, कोटद्वार की बाउण्ड्री वाल मरम्मत, औद्योगिक आस्थान में शौचालय निर्माण तथा कैन्टीन संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र की बाउण्ड्री का आंगणन तैयार कर प्रस्ताव सिडकुल मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। शौचालय निर्माण हेतु मै0 शुलभ इन्टरनेशनल के द्वारा आगणन तैयार कराया जा रहा है, जिसे सिडकुल मुख्यालय को आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी में कैन्टीन संचालन हेतु अवगत कराया गया कि कॉम्युनिटी हॉल में वर्तमान में कोविड केयर सेन्टर संचालित है, जिसके बन्द होने के उपरान्त उसमे कैन्टीन संचालन का कार्य एस0एच0जी0 के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड केयर सेन्टर के रूप में कॉम्युनिटी हॉल का अधिग्रहण समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल कोटद्वार को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, कोटद्वार)

(b) औद्योगिक आस्थान सिताबपुर कोटद्वार में उत्तराधिकार के तहत प्लॉट संख्या 35 के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी थी तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार को कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त सम्बन्ध में महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराधिकार के तहत प्लॉट संख्या 35 हस्तान्तरण की संस्तुति के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 58, दिनांक 17.04.2021 के द्वारा निदेशक उद्योग महोदय को अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। निदेशालय से अनुमति प्राप्त होते ही प्लाट हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(कार्यवाही–महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार)

बिन्दु संख्या 2 – उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम (सिंगल विन्डो) व्यवस्था के अर्न्तगत स्वीकृत प्रस्तावों पर अनुमोदन –दिनांक 23.03.2021 से 15.06.2021 तक सिंगल विन्डो के अन्तर्गत प्राप्त उद्यम स्थानार्थ कुल 11 प्रस्तावों पर, जिसमें कुल प्रस्तावित पूँजी निवेश रू0 22.51 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 184 है, को प्राधिकृत समिति द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या 3– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत ससयम प्राप्त दावों की स्वीकृतियॉः– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान, विद्युत प्रतिपूर्ति तथा माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति के दावों को निम्न विवरणानुसार उद्योग मित्र समिति/उप समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया–

(a) ब्याज उपादान :–

क.सं.	इकाई का नाम	उपादान	अवधि	उपादान की धनराशि रू0 में
1	मै0 एच0 एण्ड एम0 हाईटेक प्रा0लि0,ए–2, सी–6 ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी।	ब्याज उपादान	01.10.20 से 31.12.20	56936.00